सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी

जुलाई 2007

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन दिशानिर्देश

राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

विषय सूची

विषय सूची v

संक्षिप्ताक्षर vii

1 संदर्भ 1

1.1 पृष्ठभूमि 1

1.2 भारत में आपदा जोखिम 1

1.3 पूर्व के पहल 1

1.3.1 उच्चाधिकार समिति 1

1.3.2 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय समिति 1

1.3.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 1

2 परिवर्तन की मिसाल 2

2.1 आ.प्र. अधिनियम, 2005—परिवर्तन की एक मिसाल 2

2.2 राष्ट्रीय दृष्टिकोण 2

2.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की भूमिका 2

3 राज्य योजना 3

3.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)/राज्य कार्यकारिणी समिति (एसइसी) और राज्य सरकार के विभागों की भूमिका 3

3.2 त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता 3

4 आपदाओं के स्तर 4

5 उद्देश्य 5

6 भिकरणों की प्रमुख जिम्मेदारियां 6

7		राज्य योजनाएं तैयार करने के लिए दिशानिर्देश सिद्धांत	**7**
	7.1	भागीदारी दृष्टिकोण	7
	7.2	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	7
	7.3	दिशानिर्देशक सिद्धांत- योजनाओं के पीछे उद्देश्य	7
8		मूलभूत पहलू	**9**
	8.1	रूपरेखा	9
	8.2	समन्वय और निगरानी व्यवस्था	9
	8.3	फ्रेमवर्क के अनुभाग	10
	8.3.1	संचालनात्मक	10
	8.3.2	प्रशासनिक	12
	8.3.3	वित्तीय	13
	8.3.4	विधिक	13
	8.3.5	प्रक्रिया	14
9		परामर्श रूपरेखा	**15**
	भाग I	सामान्य 15	
	भाग II	आपदा विशिष्ट कार्ययोजना	18
	भाग III	अंतर-विषयक मुद्दे	18
		परिशिष्ट	**20**

संक्षिप्ताक्षर

एटीआई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
सीबीडीएम	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
सीएससी	सामुदायिक सेवा केंद्र
आ.प्र.	आपदा प्रबंधन
आ.प्र. अधिनियम, 2005	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
ईओसी	आपातकालीन संचालन केंद्र
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
भारत सरकार	भारत सरकार
एचपीसी	उच्चाधिकार समिति
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचआर	मानव संसाधन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीडीएम	आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय समिति
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमआरसी	राष्ट्रीय आपदा बचाव संसाधन केंद्र
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईके	नेहरू युवा केंद्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनबीसी	परमाणु, जैविक और रासायनिक
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसईसी	राज्य कार्यकारी समिति
एसओपी	मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं

1 संदर्भ

1.1 पृष्ठभूमि

भारत बड़ी संख्या में अलग-अलग स्तरों पर प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं से असुरक्षित देश रहा है – 58.6 प्रतिशत भूभाग मध्यम से अति तीव्रता वाले भूकंप-क्षेत्र में आते हैं; 4 करोड़ हेक्टेयर (भूभाग का 12 प्रतिशत) से अधिक भूभाग बाढ़ और नदी अपक्षरण की आशंका वाले क्षेत्र में आते हैं; 7,516 किलोमीटर लम्बी समुद्री तटरेखा में से करीब 5,700 किलोमीटर की तटरेखा चक्रवात और सुनामी प्रवण हैं; उपजाऊ भूमि का 68 प्रतिशत क्षेत्र सूखे के प्रति संवेदनशील हैं और पहाड़ी इलाके भू-स्खलन और हिम-स्खलन की जोखिमों से भरे हुए हैं। इसके अलावा, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) आपदाएं और आतंकवाद की प्रवणता भी कई गुना बढ़ गयी हैं।

2.1 भारत में आपदा जोखिम

भारत में आपदा जोखिम बढ़ती अतिसंवेदनशीलता के चलते बढ़ते जा रहे हैं. इनमें जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, आमदनी में व्यापक असमानता, तेजी से शहरीकरण, औद्योगीकरण में वृद्धि, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का विकास, पर्यावरण में गिरावट, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं. स्पष्ट तौर पर, ये सब भविष्य को इंगित करते हैं कि भारत की आबादी, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और इसके सतत विकास को गंभीर खतरा है; इसलिए तात्कालिक तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी करके आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (आ.प्र. अधिनियम, 2005) द्वारा आपदा प्रबंधन (आ.प्र.) के लिए राज्य योजना तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है. आपदा प्रबंधन योजना इलाके में क्षेत्रीय और बहु-आयामी खतरे के संदर्भ में क्षेत्रीय और आपदा विशिष्ट प्रबंधन उपकरण तैयार करेगा.

1.3 पिछली पहल

1.3.1 उच्चाधिकार समिति

सभी आपदाओं के लिए व्यवस्थित, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण तैयार करने की दिशा में पहली पहल, श्री जे.सी. पंत की अध्यक्षता में अगस्त 1999 में उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की स्थापना थी। एचपीसी ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक मॉडल योजना तैयार की।

1.3.2 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय समिति

गुजरात भूकंप के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पर सर्वदलीय राष्ट्रीय समिति स्थापित की गई थी और इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, ताकि आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और उसे शीघ्र अमल में लाया जा सके और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुझाव दिया जा सके।

1.3.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

23 दिसंबर 2005 को, भारत सरकार (जीओआई) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करके समग्र आपदा प्रबंधन की दिशा में भरपूर कदम उठाया।

2 परिवर्तन की मिसाल

2.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005—एक परिवर्तन की मिसाल

आपदा प्रबंधन की दिशा में सक्रिय और व्यापक मानसिकता से प्रतिक्रिया और राहत-केंद्रित दृष्टिकोण के जरिये रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्वापसी के लिए तैयारी से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया।

यह इसे भी मुहैया कराता है :

- प्रभावी वैधानिक और वित्तीय सहायता द्वारा समर्थित नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण।
- परियोजनाओं के माध्यम से विकास प्रक्रिया और बचाव उपायों को बहु-क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की मुख्यधारा में लाता है।
- समग्र, सामुदायिक आधारित भागीदारी, समावेशी और टिकाऊ तरीके से नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाने, व्यवस्थित करने, समन्वय करने और कार्यान्वित करने की निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया।

2.2 राष्ट्रीय दृष्टिकोण

राष्ट्रीय दृष्टिकोण यह है कि आपदा प्रबंधन के लिए समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके सुरक्षित और आपदा रोधी भारत का निर्माण करना है। यह लोगों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए रोकथाम, बचाव और तैयारी की संस्कृति पैदा करके हासिल किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया समुदाय को केंद्र में रखेगी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से सभी सरकारी एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इसे गति और निरंतरता प्रदान की जाएगी।

2.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की भूमिका

आपदा प्रबंधन अधिनियम एनडीएमए को विधायी प्राधिकरणों को अपनी योजनाओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने को अनिवार्य बनाता है। संक्षेप में, एनडीएमए रोकथाम, बचाव, तैयारी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और प्रभावी और समेकित राष्ट्रीय आपदा बचाव और राहत के लिए उपयुक्त नीतियों और दिशानिर्देशों का भी निर्माण करेगा। यह नीतियों और योजनाओं के परिवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।

3 राज्य योजना

3.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)/राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) और राज्य के विभागों की भूमिका

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 का कहना है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना होगी। यह योजना के व्यापक कवरेज के साथ-साथ राज्य योजनाओं की तैयारी में परामर्श की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। यह राज्य योजना की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन करना भी मुहैया करता है, और राज्य सरकारों को राज्य योजनाओं के तहत की जाने वाली गतिविधियों को वित्त पोषित करने के प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राज्य सरकारों के विभागों को राज्य योजना के अनुसार अपनी योजना तैयार करने के लिए कहता है। एनडीएमए द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के संबंध में एसडीएमए द्वारा संबंधित मामलों पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुरूप एसईसी द्वारा राज्य योजना तैयार की जाएगी, और स्थानीय और जिला प्राधिकरणों और जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह के परामर्श के बाद ही एसईसी फिट समझा जा सकता है। एसईसी द्वारा तैयार की गई राज्य योजना एसडीएमए द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

3.2 त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता

आदर्श तौर पर, राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण राज्य के अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण के बाद किया जाना चाहिए। इन योजनाओं में एनडीएमए द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी अन्तर्निहित करने की आवश्यकता होगी। भले ही यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, फिर भी इसमें कुछ समय लग सकता है। यह महसूस किया जाता है कि योजनाओं की तैयारी आपदा जोखिम विश्लेषण के नतीजे का इंतजार नहीं कर सकती है। मौजूदा सूचना और जानकारी के आधार पर, प्रत्येक राज्य द्वारा एक योजना तैयार की जानी चाहिए और निरंतर आधार पर नियमित रूप से ताजा इनपुट जोड़कर अपडेट किया जाना चाहिए। लंबित विस्तृत सूक्ष्म-स्तरीय अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण, वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की अतिसंवेदनशीलता प्रोफ़ाइल के बारे में जानकारी, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस में निहित जानकारी शामिल है, को योजना में शामिल किया जा सकता है।

4 आपदाओं के स्तर

- आपदा प्रबंधन की राज्य योजना की तैयारी का दृष्टिकोण समग्र होना चाहिए और राज्य उन सभी खतरों को दर्शाएं जिनसे निपटने में राज्य कमजोर हैं। इसे पिछली सीख और अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए, विभिन्न स्तरों पर अच्छी मौजूदा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसे प्रणाली को व्यवस्थित करने और परिचालन और प्रबंधन प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता को दर्शाना चाहिए।

- राज्य योजना अलग-अलग आपदाओं को संभालने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा राज्य स्तर पर विशिष्ट योजनाओं के साथ आपदाओं के सामान्य वर्गीकरण को भी अपना सकती है।

- विभिन्न अधिकारियों की क्षमता के आधार पर आपदाओं के स्तर को पहले ही वर्गीकृत किया जाता है और एल 0, एल 1, एल 2 और एल 3 के रूप में प्रसारित किया गया है। अलर्ट के स्तर से संबंधित विभिन्न कलर कोड भी समेकित किए गए हैं।

    - एल-0 सामान्य समय को दर्शाता है जिस समय नज़दीकी निगरानी, दस्तावेज़ीकरण, रोकथाम, बचाव और प्रारंभिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने की उम्मीद रहती है। यह योजना तैयार करने का चरण है जहां समुदाय से लेकर राज्य के सभी स्तरों पर योजना बनाई जाएगी। इस समय राहत गतिविधियों के लिए तलाश और बचाव, पूर्वाभ्यास, मूल्यांकन और सूची अद्यतन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    - एल-1 उन आपदाओं को निर्दिष्ट करता है जिन्हें जिला स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो राज्य और केंद्र सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहेंगे।

    - एल-2 उन आपदा परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए राज्य की सहायता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता हो सकती है, और राज्य स्तर पर संसाधनों को जुटाना आवश्यक हो सकता है।

    - एल-3 आपदा की स्थितियाँ बड़े पैमाने पर आपदाओं के आने से उत्पन्न होती हैं जहां जिलों और राज्य के पास पर्याप्त रूप से बचाव कार्य करने की क्षमता नहीं हो सकती है और राज्य और जिला मशीनरी को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता होती है।

- भले ही राज्यों और केंद्रों के बीच जिम्मेदारियों का वर्गीकरण नहीं हो सकता है, खासतौर पर मानव निर्मित आपदाओं के मामले में, केंद्र की भागीदारी आम तौर पर एल 3 स्तर पर होगी।

5 उद्देश्य

राज्य आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना, तैयारी, परिचालन, समन्वय और सामुदायिक भागीदारी हेतु सहूलियत के लिए आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित घटकों को संबोधित किया जाए। राष्ट्रीय दृष्टि और उपर्युक्त दृष्टिकोण के प्रवाह में, नीति तैयार करने के दिशानिर्देश के उद्देश्य हैं:

- सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता को सुनिश्चित करते हुए इसके रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना कि समुदाय सबसे महत्वपूर्ण हितधारक है।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर बचाव उपायों को प्रोत्साहित करना।
- विकास योजना की प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन की चिंताओं को मुख्यधारा में शामिल करना।
- सक्षम नियामक पर्यावरण और अनुपालन व्यवस्था बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित और संस्थागत तकनीकी-कानूनी ढाँचा स्थापित करना।
- उत्तरदायी और सुरक्षित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की सहायता से समकालीन पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास करना।
- जागरूकता पैदा करने और क्षमता विकास हेतु योगदान देने के लिए मीडिया के साथ उत्पादक साझेदारी को बढ़ावा देना।
- समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की देखभाल के दृष्टिकोण के साथ कुशलता से बचाव और राहत सुनिश्चित करना।
- आपदारोधी निर्माण और आवास निर्माण को अवसर के रूप में लेकर पुनर्निर्माण करना।
- आपदा-पूर्व के चरण में समुदाय को बेहतर और सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए उपक्रम करना।

3 अभिकरणों की प्रमुख जिम्मेदारियां

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन और आपातकालीन मोचन प्रणाली विभागों/एजेंसियों की प्रमुख जिम्मेदारियों पर इस प्रकार विचार किया जा सकता है:

- **योजना बनाना:** संसाधनों के उपयोग के लिए रणनीति और आवश्यकता विश्लेषण का विकास करना। आवंटित भूमिकाओं के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए संगठनों द्वारा अपनी क्षमता तैयार करने के संरचनाओं, प्रणालियों का विकास करना और परीक्षण और मूल्यांकन करना।

- **योजनाओं का समन्वित निष्पादन:** विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय, अभिसरण और तालमेल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों, अकादमिक और अनुप्रयोग अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आदि के माध्यम से संसाधनों, दृष्टिकोण, सूचना और विशेषज्ञता के साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- **विकास कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के सरोकार की मुख्यधारा:** यह विकास योजनाओं और राहत परियोजनाओं सहित परियोजनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन के प्रावधान की सुविधा के लिए आपदाओं की रोकथाम के उपायों और राहत कार्य के एकीकरण से संबंधित है। योजनाएं तीन व्यापक श्रेणियों में दिखायी जा सकती हैं, जैसे- लघु, मध्यम और दीर्घकालिक। प्रत्येक प्रोत्साहन श्रेणी में किए जाने वाले संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को लाया जा सकता है।

7 राज्य योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशानिर्देशक सिद्धांत

7.1 भागीदारी दृष्टिकोण

योजना तैयार करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समुदायों, निर्वाचित स्थानीय निकायों और राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया और तैयारी को मजबूत करने का लक्ष्य सामने रखती है। योजनाओं को कमजोरियों और जोखिमों की पहचान सहित एक सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए, और समग्र, समावेशी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल भी होना चाहिए। योजनाएं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। महिलाओं की चिंताओं को विशेष रूप से संबोधित किया जा सकता है।

7.2 समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन

किसी भी आपदा के दौरान, समुदाय हमेशा राहत पहुँचाने वाली पहली कड़ी होते हैं। सामुदायिक भागीदारी स्थानीय स्वामित्व को सुनिश्चित करती है, स्थानीय ज़रूरतों का ध्यान रखती है, और क्षति को रोकने और कम करने के लिए स्वयंसेवी तरीके और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देती है। इसलिए, राज्यों को मजबूत अभियानों के माध्यम से बाहरी संस्थाओं पर कम निर्भरता के साथ जोखिमों के प्रबंधन में उनकी कमजोरियों और प्रमुख भूमिका को समझने में समुदायों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। समुदाय आधारित आपदा तैयारी के लिए व्यवस्था को भी योजनाओं की तैयारी के लिए आधार बनाना चाहिए।

7.3 दिशानिर्देशक सिद्धांत- योजनाओं के लिए सहायक विषय

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की अतिसंवेदनशीलता।
- आपदाओं की रोकथाम और राहत के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।
- किस तरीके से राहत उपायों को विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- क्षमता निर्माण और तैयारी के उपाय किए जाएं।
- ऊपर निर्दिष्ट उपायों के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिका और जिम्मेदारियां।
- किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के शमन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियां।
- राज्य योजना की समीक्षा की जाएगी और हर साल इसे अद्यतन किया जाएगा।
- राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के तहत किए जाने वाले उपायों को वित्त पोषित करने के लिए उचित प्रावधान किए जाएंगे।
- राज्य योजना की प्रतियाँ राज्य सरकार के विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे विभाग राज्य योजना के अनुसार अपनी योजना तैयार करेगा।.

8 आधारभूत पहलू

राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए एनडीएमए ने तदनुसार इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार किया है। योजना तैयार करने के लिए राज्यों द्वारा एक अनुवर्ती रूपरेखा भी संकेतित किया गया है।

8.1 रूपरेखा

योजना के ढांचे को आपदा प्रबंधन में एक राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन में परिवर्तन की मिसाल के तौर पर उजागर करना चाहिए जो तैयारी, रोकथाम और बचाव के महत्व की अपेक्षा करता है, और इसमें तीन हिस्से शामिल हैं:

- राज्य की व्यापक अतिसंवेदनशीलता प्रोफाइल सहित सामान्य मुद्दे। इसमें समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, चिकित्सा तैयारी, जागरूकता फैलाना, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण और राज्य के मानव संसाधन (एचआर) योजना, ज्ञान प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी और राहत, पुनर्वास आदि के लिए पूर्वानुमान प्रणाली मानकों जैसे अन्य विषयगत मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा।
- आपदा विशिष्ट मुद्दे और पद्धतियां।
- किसी भी आपदा में सभी स्थितियों के लिए आम तौर पर अंतर्विषयक मुद्दे। यह विशेष रूप से कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा की व्यवस्था से निपटेगा।

यह आपदा विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा, जो समय-समय पर एनडीएमए द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिशानिर्देश के अंतिम अध्याय में योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह योजना आपदा प्रबंधन में अंतर्विषयक गतिविधियों से भी निपटेगी, जिसके लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संबंधों के जरिये एक तरफ संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है।

8.2 समन्वय और निगरानी तंत्र

इसमें समन्वय और निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में निम्नलिखित का संदर्भ शामिल होना चाहिए:

- बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और प्रतिष्ठित स्थानीय नेताओं की भूमिका।
- गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक आधारित संगठनों (सीबीओ) की भूमिका।
- जोखिम में कमी, बचाव, तैयारी और जागरूकता निर्माण सहित आपदा प्रबंधन में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में महिलाओं की भूमिका।
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों विशेष रूप से ग्राम सभा की भूमिका।

8.3 फ्रेमवर्क के अनुभाग

फ्रेमवर्क में ऐसे अनुभाग शामिल होंगे जो इनसे निपटते हैं:

- संचालनात्मक
- प्रशासनिक
- वित्तीय
- कानूनी पहलू
- प्रक्रिया

8.3.1 संचालनात्मक

योजना होनी चाहिए :

i) राज्य की सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और समानता आधारित होना चाहिए- समाज के सभी वर्गों की अलग-अलग आवश्यकताओं को पहचानना, जिसमें बुजुर्ग, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, समूह आदि शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की चिंताओं को ध्यान में रखना करना चाहिए।

ii) यह राष्ट्रीय, जिला, ब्लॉक, गांव और सामुदायिक स्तर की योजनाओं के अनुरूप रहे और कार्यान्वयन रणनीतियों को शामिल करना चाहिए और साथ ही विशिष्ट निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को इंगित करना चाहिए। उत्तरार्द्ध भी गुणात्मक परिणामों को धारण करने में सक्षम होना चाहिए।

iii) आधार रेखा विकसित करना और कुल जोखिम की पहचान करना और जोखिम के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर पर भी सहमत होना चाहिए। इसे तैयारी से लेकर पुनर्वापसी तक आपदा प्रबंधन चक्र के सभी पहलुओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। हालांकि, प्रारंभिक योजना तैयार करने के लिए जोखिम मूल्यांकन अभ्यास को पूरा करने की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए।

iv) आपदा प्रबंधन के लिए राज्य मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना के घटकों का संदर्भ शामिल करें, विशेष तौर पर विशेषताओं पर विशेष जोर, जैसे कि:

- प्रशिक्षण में विश्लेषण की जरूरत।
- अभ्यास में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के अलावा, अन्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी।

v) सूक्ष्म नियोजन के लिए समेकित पेशेवर प्रशिक्षण, जिसमें बहु-आपदा के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और योजना के अनुप्रयोग के लिए अंतर्निहित सिमुलेशन तकनीक विकसित करना चाहिए।

vi) आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) की भूमिका का वर्णन करें: राज्य और जिले में आपदाओं के समग्र और कुशल प्रबंधन के लिए एक छत के नीचे पर्यावरण परीक्षण, खुफ़िया सभा, संचालन और रसद प्रबंधन के लिए सुविधाएँ बनाने के लिए समयबद्ध स्तर पर कार्य योजनाओं का संकेत होना चाहिए। व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और 24 X 7 X 365 आधार पर ईओसी को प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी चाहिए। इस योजना को राज्य, जिला और स्थानीय निकाय के स्तर पर स्वदेशी आपदा कमान प्रणाली में भी शामिल किया जाना चाहिए।

vii) चिकित्सा तैयारी और व्यापक दुर्घटना प्रबंधन को शामिल करें: निम्नलिखित बिंदु राज्य योजना में प्रतिबिंबित होना चाहिए:

- निजी नर्सिंग होम्स और उनकी क्षमताओं सहित सभी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूची।
- स्थानीय, जिला और राज्य स्तर पर आपातकालीन दुर्घटना प्रबंधन योजनाएं।
- दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आसपास की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी योजनायें बनायी जानी चाहिए।
- चलंत अस्पतालों की उपलब्धता और/या इसे प्राप्त करने के लिए योजनाएं।

viii) विभिन्न लाइफ-लाइन संरचनाओं/ आधारभूत संरचना (उदाहरण के लिए, पुल, सड़कों, स्कूल भवनों, अस्पतालों, संचार नेटवर्क इत्यादि) की

रूपरेखा तैयार करें और आपदाओं के दौरान इन संरचनाओं के रखरखाव और प्रबंधन की व्यवस्था को भी उजागर करें।

ix) इस तथ्य पर ध्यान दें कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा निवारण संसाधन केंद्र (एनडीएमआरसी) के साथ सह-विद्यमान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सात बटालियन पहले से ही पूरे देश को कवर करने के लिए नौ अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। इन एनडीएमआरसी को राज्य विकास क्षमता, मॉक ड्रिल चलाने और राज्यों को केंद्रीय सहायता की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। राज्य सरकारों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ नागरिक सुरक्षा और गृहरक्षकों को अपग्रेड और मजबूत करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए।

x) प्रमुख शहरों (10 लाख से अधिक आबादी वाले) में, नगर निगमों में इंजीनियरिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजस्व, और कभी-कभी अग्निशमन सेवाएं जैसे विभागों सहित एक बड़ी प्रशासनिक प्रणाली होती है। इन्हें किसी भी संकट/आपदा के मामले में समन्वित रिस्पांस के लिए एक बेहतर तंत्र प्रदान करना चाहिए। इसलिए, प्रमुख शहरों के प्रबंधन की योजना एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन शहरों में महानगरीय शासन को आपदा प्रबंधन के लिए सीधे जिम्मेदार बनाने की भी सलाह दी जाती है।

xi) क्षति के मूल्यांकन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से शामिल करें ताकि समय पर और पर्याप्त राहत प्रदान की जा सके।

xii) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के लिए उपयुक्त स्थानिक पहलुओं के साथ आपातकालीन प्रबंधन समस्याओं की पहचान करें। जीआईएस कई आपातकालीन प्रबंधन समस्याओं के समाधान का हिस्सा हो सकता है। स्टाफिंग, प्रशिक्षण, डेटा संग्रह, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मामले में जीआईएस को आपातकालीन प्रबंधन उपकरण के रूप में संस्थागत बनाने की लागत का मूल्यांकन करें।

xiii) विभिन्न आपदाओं के लिए माक अभ्यास और ड्रिल पर समुचित जोर दें। जिला स्तर पर संबंधित हितधारकों की भूमिका की स्पष्टता और विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के समन्वय के लिए ये अभ्यास आवश्यक हैं। पानी और जलवायु संबंधी आपदा के मामले में, राज्य के विभिन्न अतिसंवेदनशील इलाकों में अभ्यास बारिश के मौसम की शुरुआत से पहले की जा सकती है। अन्य प्रकार की आपदाओं के लिए, उचित अंतराल पर अभ्यास की योजना बनाई जा सकती है।

xiv) मौजूदा राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय संसाधनों के प्रसार तंत्र का वर्णन करें।

xv) तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्बहाली से जुड़े मामलों में तार्किक मुद्दों से निपटें।

xvi) पड़ोसी राज्यों के परामर्श पर काम करते हुए इसे अंतर-राज्यीय समन्वय के लिए रूपरेखा में शामिल करें।

xvii) केंद्र सरकार और एनडीएमए के परामर्श से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े राज्यों के लिए काम करने हेतु अंतर-देशीय समन्वय के विवरण शामिल करें।

xviii) चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे, संचार, प्रशिक्षण और एचआरडी की आवश्यकताओं को शामिल करें

8.3.2 प्रशासनिक

i) चूंकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बनना जारी है, यह योजना राज्य की पांच साल की विकास योजनाओं के अनुसार होनी चाहिए। यह योजना

राज्य आपदा प्रबंधन नीति के अनुरूप भी होनी चाहिए।

ii) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रणाली और संस्थानों की स्पष्ट रूप से पहचान करनी चाहिए और इसका उल्लेख करना चाहिए। इस योजना में स्पष्ट रूप से उपलब्ध एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, युवा और छात्र संगठन इत्यादि, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) नेटवर्क का ध्यान रखना चाहिए। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट योजनाओं के बारे में एक अलग अध्याय में भी शामिल किया जाना चाहिए।

iii) iii) सार्वजनिक-निजी साझेदारी को आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण और उन तरीकों से प्रभावित किया जाएगा जिनके माध्यम से इन्हें भी काम करने की आवश्यकता होगी।

iv) ज्ञान प्रबंधन- निम्नलिखित खंडों को इस अनुभाग में शामिल किया जाएगा:

- सामुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना और संचालन। सीएससी ज्ञान आधारित समाज बनने के लक्ष्य को साकार करने का एक आवश्यक घटक हैं। ये केंद्र ग्रामीण विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को आकार देते हैं और स्वयं सहायता समूहों, कौशल निर्माण, सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म उद्यम, बाजार, साक्षरता और शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शासन और अधिकारिता आदि जैसे कई अन्य पहल और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- आपदा प्रबंधन के लिए स्वदेशी स्थानीय प्रथाओं का दस्तावेज़ तैयार करने के उपाय।
- संसाधन सूची को नियमित तौर पर अद्यतन करना

iii) जैसा कि आपदाएं मानव निर्मित सीमाओं को पहचानती नहीं हैं, अंतर-राज्य, अंतर-जिला समन्वय मुद्दों को मुख्य रूप से योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

iv) आपदा प्रबंधन में जिला और स्थानीय स्तर पर कई पहलुओं के एक बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं। यह यहां इसलिए है क्योंकि यहां अंतर्विषयक समन्वय और निगरानी की आवश्यकता होती है। सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन इकाईयों की सुविधाओं को आपदा प्रबंधन से संबंधित कौशल के विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाना चाहिए और मजबूत किया जाना चाहिए।

v) पंचायती राज संस्थानों/सीबीओ, एनजीओ और समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क रखना चाहिए और उनकी सहायता का स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

vi) यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि योजना नियमित आधार पर अपडेट की जाती है (कम से कम वर्ष में एक बार) और समय के साथ परिवर्तन को समायोजित करने में सक्षम है।

8.3.3 वित्तीय

योजना होनी चाहिए :

i) लघु, मध्यम और दीर्घकालिक गतिविधियों के लिए आवश्यक बजट प्रावधानों का जिक्र रहे। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संविधान राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि और जिला स्तर पर जिला आपदा मोचन निधि को अनिवार्य बनाता है। इन फंडों के निर्माण के लिए तौर-तरीकों के साथ-साथ उनके उपयोग के लिए दिशानिर्देश योजना दस्तावेज़ के अनुलग्नक में शामिल किए जा सकते हैं। यदि निकट भविष्य में

ऐसी निधि तैयार करना संभव नहीं है, तो ऐसी निधि की स्थापना का संदर्भ योजना में किया जाना चाहिए।

ii) विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को लेकर निर्माण कार्य के संबंध में विवरण शामिल करें। राहत और क्षमता विकास उपायों का विवरण लिखा जाना चाहिए।

iii) राज्य की वार्षिक और पंच-वर्षीय योजनाओं के एक घटक के तौर पर उप-योजना बनें, जो जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना की तर्ज पर इसमें शामिल प्रत्येक विभाग के आवंटन को इंगित करता हो।

iv) आपदा आने पर पिछले अनुभव के आधार पर अनुमानित राहत सामग्री आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधान के बारे में दर्शाएं। इन मौक़ों पर तैनात बलों की आवश्यकताओं के लिए पूरा प्रावधान करने का भी ध्यान रखना चाहिए। योजनाओं के जरिये जिला और स्थानीय अधिकारियों के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

v) बाहरी सहायता का जिक्र करते हुए, समन्वय के लिए नोडल व्यवस्था के विवरण प्रस्तुत करें।

8.3.4 कानूनी

इस अनुभाग में ऐसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे कि:

i) एसईसी की ज़िम्मेदारी :

- राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करने के लिए।
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न मानकों से संबंधित जानकारी एनडीएमए को प्रदान करना।
- आपदाओं की रोकथाम और समेकन के लिए विकास योजनाओं और परियोजनाओं हेतु धनराशि निर्धारित करना।

ii) तकनीकी-कानूनी नियम तैयार करना; उदाहरण के लिए, बिल्डिंग उपविधि में संशोधन करना, बाढ़ मैदान जोन निर्धारण कानून आदि लाना।

8.3.5 प्रक्रिया

इस अनुभाग में होंगे:

i) राज्य योजना के निर्माण के समन्वय के लिए नोडल विभाग को नामित करें।

ii) प्रत्येक प्रासंगिक विभाग के फोकस बिंदु की पहचान करें; अधिकारियों के एक कोर समूह को शामिल करें और उनके दृष्टिकोण को पेशेवर बनाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

iii) तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक / तकनीकी संस्थानों को शामिल करें।

iv) गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ, कॉर्पोरेट क्षेत्र, युवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों, मीडिया और अन्य हितधारकों की भागीदारी के लिए नोडल विभाग (ओं) का वर्णन करें- और ऐसी साझेदारी की पद्धतियां तैयार करें।

v) आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में राहत कार्य के लिए रसद प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करें।

vi) स्थानीय प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों और जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करें।

9 सुझाई गई रूपरेखा

भाग I: सामान्य

अध्याय I: परिचय

- राज्य प्रोफ़ाइल- सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय
    - दृष्टि (विज़न)
    - थीम
    - उद्देश्य

अध्याय II: अतिसंवेदनशीलता आकलन और जोखिम विश्लेषण

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर राज्य की अतिसंवेदनशीलता का इतिहास।
- खतरे का जोखिम मूल्यांकन और अतिसंवेदनशीलता का चित्रण करना।
- मानव निर्मित आपदाओं के संभावित खतरे।
- नक्शे और जोन के विवरण को दर्शाते हुए राज्य का आपदा प्रोफ़ाइल, यदि कोई हो, तो लिया जाय। यदि उपलब्ध हो तो जीआईएस प्रारूप में जिलों का आपदा प्रोफ़ाइल भी शामिल किया जाना चाहिए। इस योजना में शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या विस्फोट आदि जैसे उभरती चिंताओं को भी संदर्भित करना चाहिए।

अध्याय III: निवारक उपाय

- मानव निर्मित आपदाएं।
- प्राकृतिक आपदाएं-राज्य विशेष के लिए।
- प्रारंभिक चेतावनी और प्रसार प्रणाली।
- प्रत्येक घटना के लिए नोडल विभाग (ओं) की पहचान के साथ संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के साथ लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रोकथाम और राहत योजना की आवश्यकता है।
- प्रशिक्षण के लिए राज्य मानव संसाधन योजना के विश्लेषण और विकास की आवश्यकता है (अनुलग्नक के रूप में जोड़ा जाए)।

अध्याय IV: विकासात्मक ऋण/कार्यक्रम/ परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन चिंता की मुख्य धारा

- इसमें सिंचाई, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, सड़कें, इमारतें, स्कूल और अस्पताल, आवास, विरासत स्मारक आदि जैसे आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना शामिल हैं।
- प्रभाव मूल्यांकन, जोखिम में कमी, और "कोई नुकसान नहीं" दृष्टिकोण के अवयव। ऐसी योजनाओं को लेकर आपदा प्रबंधन चिंताओं में विकास योजनाओं में निर्माण करते समय प्रत्येक विभाग के लिए योजना बनायीं जाती है।
- आपदाओं और अवशिष्ट एजेंडा का वर्गीकरण।
    - क्या किया जाएगा?
    - यह कैसे किया जाना है?
    - यह कौन करेगा?
    - कब तक?

[संक्षेप में रसद प्रबंधन विवरण संबंधित मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं (एसओपी) में शामिल किए जाएं]

अध्याय V: तैयारीगत उपाय

- संसाधन उपलब्धता- राष्ट्रीय और राज्य संसाधन: सरकार, निजी, नागरिक समाज:
    - आईडीआरएन / एसडीआरएन को तिमाही आधार पर नियमित अद्यतन करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों की सूची शामिल की जानी चाहिए।
- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम)।
- प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य सक्रिय उपाय:
    - नागरिक रक्षा
    - होम गार्ड
    - एनसीसी
    - एनएसएस
    - एनवाईके
    - शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान।
    - नागरिक समाज, सीबीओ, कॉर्पोरेट संस्थाएं।
    - फायर ब्रिगेड।
    - राज्य आपदा मोचन बल।
    - सिविल पुलिस।
    - मीडिया-इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और लोक माध्यमों के माध्यम से, अंतर्वैयक्तिक संचार।
- जागरूकता फैलाना।
- आपातकालीन प्रबंधन समस्या को हल करने के लिए स्थानिक डेटा एकत्र करके और उनका विश्लेषण करके एक प्रभावी जीआईएस प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें।
- तकनीकी-कानूनी शासन।
- चिकित्सीय तैयारी- आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर प्रमुख अस्पतालों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों को नामांकित/ नामित करें, जिसमें आघात और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखभाल शामिल है।
- ज्ञान प्रबंधन:
    - आपदाओं से निपटने के लिए स्वदेशी तकनीकी ज्ञान की खोज करने के लिए कदम उठाएं और उचित उपयोग के लिए इसे मान्यता प्रदान करें।
    - आईसीटी उपकरण और संसाधनों जैसे सामुदायिक सेवा केंद्रों के उपयोग की व्यवस्था करें।
- अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी सहित विफलता से सुरक्षित संचार।
- योजनाओं का परीक्षण-मॉक ड्रिल और रिहर्सल के माध्यम से।
- योजना को अद्यतन करने के समय सीखे गए सबक को शामिल किया जाए।

अध्याय VI: प्रतिक्रिया

तत्काल बचाव के लिए विकसित योजनाओं की डिज़ाइन प्राकृतिक आपदा की घटना की भीषणता के आधार पर प्रेरक तंत्र के आधार पर शुरू किया जाएगा।

- आपदा कमान प्रणाली (उपयुक्त रूप से संशोधित/स्वदेशी)।
- आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र।
- चेतावनी प्रणाली- प्रारंभिक चेतावनियां इत्यादि।
- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा के दौरान खतरे को कम करने की रूपरेखा, ढाँचा, राज्य/राज्य का रोडमैप तैयार करना।
- विविध आपदाओं के विभिन्न स्तरों के लिए

संभावित परिदृश्य-निर्माण, जिसमें राज्य के विभिन्न इलाके अतिसंवेदनशील हैं।

- राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न आपदाओं के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर माक अभ्यास के संचालन के लिए वार्षिक कार्यक्रम। तैयारी के स्तर के सही मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए बगैर पूर्वाभ्यास के कुछ अभ्यास किए जाने चाहिए।
- योजनाओं के सक्रिय करने की प्रक्रिया - किसी भी आपदा की स्थिति में।

अध्याय VII: अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी

- शैक्षिक संस्थानों और वैज्ञानिक और तकनीकी संगठनों की भूमिका, जिनके पास आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य है, उन्हें नोडल व्यक्तियों के नाम और पदनाम के साथ प्रारंभिक चेतावनी से लेकर पुनर्वापसी तक के लिए लिखा जा सकता है।
- मीडिया

अध्याय VIII: वित्तीय व्यवस्था

- राज्य योजना के घटकों के वित्त पोषण के लिए व्यवस्था।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विशेष आपदा के दौरान जरूरत के अनुसार रोकथाम, तैयारी और बचाव कार्य में सुधार के उद्देश्य से विशेष राहत परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था (इन्हें समय के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिए और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए)।
- राज्य और जिला स्तर पर आपदा राहत निधि और आपदा आयोग निधि के गठन के लिए उठाये गए कदम जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अनिवार्य बनाये गए विभिन्न गतिविधियों के वित्त पोषण के स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- प्रत्येक विभाग के विस्तृत एसओपी अपनी खुद की आपदा प्रबंधन योजना और अन्य सभी हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों में निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने हेतु धन के लिए अपने वार्षिक बजट में प्रावधान करते हैं।

भाग II: आपदा विशेष कार्ययोजना

अध्याय IX: बाढ़

अध्याय X: चक्रवात

अध्याय XI: भूकंप

अध्याय XII: भू-स्खलन

अध्याय XIII: रासायनिक आपदाएं (तैयारी और पुनर्वास सहित ऑफ साइट योजनाओं पर जोर)

अध्याय XIV: परमाणु हादसे

अध्याय XV: जैविक आपदाएं

अध्याय XVI: तेल फैलाव और खदान दुर्घटनाएँ

अध्याय XVII: सुनामी

भाग III: अंतर्विषयक मुद्दे

अध्याय XVIII: योजनाओं की समीक्षा और अद्यतन करना

इस योजना में निर्धारित अवधि पर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने की सूची शामिल होनी चाहिए, इस बात की पुष्टि करते हुए कि उनके घटकों का विधिवत अद्यतन कर दिया गया है।

अध्याय XIX: समन्वय और कार्यान्वयन

आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और उन्हें सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की महत्वपूर्ण वैधानिक ज़िम्मेदारी बनती है।

यह योजना स्पष्ट तौर पर सरकारी विभागों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों, एनजीओ, सीबीओ और स्थानीय निकायों के बीच आवश्यक आपदा प्रबंधन और लंबवत और क्षैतिज संबंधों की गतिविधियों की अंतर-विषयक प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और यह वर्णन करती है कि कैसे एसडीएमए/एसईसी/डीडीएमए आदि द्वारा उनके कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जायेगा।

विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के बीच प्रयासों का समन्वय सहक्रिया उत्पन्न करता है और प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने में शामिल होता है।

यह मुख्य रूप से आपात स्थिति से मांग की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित अधिग्रहण और संसाधनों (कर्मियों और उपकरणों) के अनुप्रयोग से संबंधित है। अन्य बातों के साथ, निगरानी के तंत्र, गुणवत्ता और परिणाम संकेतक को भी दर्ज किया जाना चाहिए।

एक नियमित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियों पर एसडीएमए/एसईसी/डीडीएमए को रिपोर्ट करने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां डाली जानी चाहिए, जिन पर रिपोर्ट की जा सकती है, जिन अधिकारियों को रिपोर्ट विशेष समय सीमा, आवृत्ति और रिपोर्टिंग प्रारूपों के साथ एक साथ भेजा जाना है। आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपवाद द्वारा प्रबंधन के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए।

योजना के लिए अनुलग्नक

- राहत कोड - महत्वपूर्ण सरकारी आदेश।
- क्षति/ आवश्यकता मूल्यांकन प्रारूप।
- आपातकालीन टेलीफ़ोन निर्देशिका।
- राज्य की प्रमुख नदी बेसिन/सड़क/परिवहन नेटवर्क।
- राज्य में राष्ट्रीय, राज्य और जिला/तहसील स्तर पर काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सूची।
- प्रशिक्षण/तकनीकी संस्थानों की सूची।

रचनाकर्ता: मैग्नम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, info@magnumbooks.org
www.magnumbooks.org, +91-9811097054